206

संख्याः 207 /XXVI/छः(2)/2009

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग–2

देहरादून, दिनांकः 24 अप्रैल, 2012

विषय– शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में हुए शासनादेशों के क्रम में गत शासनादेश सं0–33/XXVI/छः/(2)/2009, दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय/आदेश के क्रम में निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

i) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उत्तराखण्ड में शासकीय कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था की सूची से हटाया जाता है।

ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को उत्तराखण्ड राज्य में शासकीय कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था की सूची में शामिल किया जाता है।

iii) चार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को उत्तराखण्ड राज्य में शासकीय कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था की सूची में कार्य की प्रकृति के अनुसार निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया जाता हैः–

1. National Building Construction Corporation (NBCC) –भवन/मार्ग/जलापूर्ति/सीवरेज कार्य
2. National Projects Construction Corporation Limited (NPCC) –भवन/मार्ग/जलापूर्ति/सीवरेज कार्य
3. Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) –भवन कार्य
4. Bridge & Roof Company India Limited –भवन/मार्ग/जलापूर्ति/सीवरेज कार्य

iv) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड की तकनीकी क्षमता एवं उपलब्ध कार्य प्रभार तथा निर्माण कार्यों की लागत में हो रही बढोत्तरी को देखते हुए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को ₹ 5.00 करोड़ लागत तक के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था बनाया जाता है।

सहशर्त– (बिन्दु ii एवं iii के लिए अनुमन्य)

1. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्यो के प्राक्कलन राज्य लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची पर तैयार करने तथा राज्य मे प्रचलित विशिष्टियों के अनुरूप निर्मित किये जायेंगे।

2. कार्यदायी संस्थाओं की वर्तमान क्षमता तथा राज्य की निर्माण कार्यों की आवश्यकता के अन्तराल को पाटने हेतु कार्यदायी संस्थाओं के विस्तार की आवश्यकता के दृष्टिगत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भी शासकीय निर्माण हेतु अधिकतम 6.75 प्रतिशत विभागीय प्रभार पर कार्य हेतु राज्य की कार्यदायी संस्था के तौर पर सूचीबद्ध किया जाता है।

3. राज्य की कार्यदायी संस्था के तौर पर सीमित निविदा आमंत्रित करने के पश्चात वित्त विभाग के तय प्रभार के बराबर या उनसे कम प्रभार पर कार्य कराने का अनुमोदन किया जाता है।

3. उक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0– 207 (1)/XXVI/छः(2)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम।
3. महाप्रबन्धक (वी0डी0), एन0बी0सी0सी0 भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003
4. महाप्रबन्धक, अनुबन्ध मार्केटिंग एवं कार्यकारी खण्ड, एन0पी0सी0सी0 प्लाट नं0–67–68, सेक्टर–25, फरीदाबाद, हरियाणा।
5. अधिशासी अभि0 बी0एस0एन0एल0 सिविल सर्किल, 3 त्यागी रोड़, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक (मार्केटिंग) सिविल ईस्ट, 427/1, जी0टी0 रोड़, हावड़ा, कोलकत्ता।
7. निजी सचिव,मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।